

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।

विज्ञप्ति

जनपद पीलीभीत में विकास खण्ड स्तर पर संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नांकित विवरणानुसार रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कर्मियों का चयन किया जाना है। जिनके लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन/परियोजना द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र० सं०	पद एवं विषय का नाम	आरक्षण/संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण				निर्धारित योग्यता	आयु	मानदेय प्रति माह रू०
		अनु० जाति	अनु० जन जाति	अ०पि० वर्ग	अनारक्षित			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी (महिला)	—	—	—	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	20000/—
02	पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान (पी०सी०बी०) (महिला)	—	—	01	—	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	20000/—
03	पूर्णकालिक शिक्षिका काफ़्ट एवं संगीत (महिला)	—	—	01	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी।	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	20000/—
04	पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय (महिला)	01	—	—	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी।	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	20000/—
05	पूर्णकालिक शिक्षिका शारिरिक शिक्षा (महिला)	01	—	—	—	प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	20000/—
06	अंशकालिक शिक्षिका कम्प्यूटर (महिला)	01	—	01	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक के साथ पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से "ओ०" लेवल/"ए" लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	5000/—
07	अंशकालिक शिक्षिका गणित (पी०सी०एम०) (महिला)	01	—	01	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	5000/—
08	अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान (पी०सी०बी०) (महिला)	02	—	01	—	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	5000/—
09	उर्दू शिक्षक/शिक्षिका	02	—	—	01	उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	12000/—
10	लेखाकार (महिला)	01	—	—	01	स्नातक वाणिज्य तथा एम०एस० आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा।	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	10000/—
11	रसोईया (महिला)	—	—	—	03	कक्षा-8 पास एवं पाक विद्या में निपुण	01 जुलाई, 2014 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 वर्ष	6000/—

उक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित शर्तें एवं आवेदन पत्र वेबसाइट pilibhit.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट:— रसोईया के एक पद पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट सं० 32926/11 विचाराधीन है। जिस पर चयन सम्बन्धी कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तिम आदेश, जो मान्य होगा के अधीन की जायेगी।

अर्हता एवं शर्तें

- 1- शिक्षक/शिक्षिका के पदों के लिये निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- 2- कम्प्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0सी0ए0 कम्प्यूटर सांइस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। कम्प्यूटर शिक्षक जिस विषय से स्नातक होगा उस विषय हेतु अलग से शिक्षक चयनित नहीं किया जायेगा।
- 3- कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह विज्ञान के शिक्षक का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- 4- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 तथा व्यायाम रत्न आदि उपाधियाँ केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- 5- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0 आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा की दशा में वरीयता दी जायेगी।
- 6- रसोइया हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जिस हेतु राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। इनके लिए विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।
- 7- पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिका शिक्षिका, लेखाकार, रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका को विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
- 8- आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो स्वयं प्रमाणित हों तथा दो स्वयं का पता लिखे लिफाफे जिस पर रू0 25-25 के डाक टिकट लगे हों संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।
- 9- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो कि छाया प्रति जो स्वयं प्रमाणित हों संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 10- किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।
- 11- सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की संख्या घटायी बढ़ायी जा सकती है।
- 12- आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में जिस पर आवेदित पद एवं विषय का नाम लिखा हो, जो दिनांक 15.07.2015 को सांय 05:00 बजे तक पंजिकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को प्राप्त हो जाये। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यालय किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 13- आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही करना होगा तथा अपूर्ण, अपठनीय एवं त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 14- आवेदन पत्र पर स्व प्रमाणित नवीनतम आकार का फोटो तथा विवरण की सत्यता का स्वः हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य है।
- 15- उपरोक्त समस्त पदों का चयन संविदा आधार पर एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषजनक होने पर संविदा अवधि बढ़ायी जा सकती है।
- 16- प्राप्त आवेदनो पर विषयवार मेरिट बनायी जायेगी। जिसे कार्यालय पर चस्पा किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर कोई आपत्ति दाखिल करनी हो तो चस्पा के एक सप्ताह के अन्दर अपनी आपत्ति कार्यालय को लिखित रूप में दे सकते हैं। उसके उपरान्त किसी भी पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 17 उक्त मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष अधिकतम 5 अभ्यर्थियों को साक्षत्कार हेतु बुलाया जायेगा।
- 18- उक्त से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवसों में सम्पर्क कर किया जा सकता है।
- 19- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा।
- 20- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरान्त ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- 21- उक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति को होगा।
- 22- एक से अधिक पदों पर आवेदन हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
- 23- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया निवास प्रमाण पत्र कि छाया प्रति जो स्वयं प्रमाणित हों संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 24- उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 25- उपरोक्त पदों पर चयन/मानदेय का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में की जायेगी।

(अम्बरीष कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयो हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप वर्ष 2015-16

1. आवेदित पद एवं विषय का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम.....
4. जन्म तिथि(अंको मे).....(शब्दो मे).....
(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)
5. आयु (01.07.2014 को).....वर्ष.....माह.....दिन
6. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करे).....
7. राष्ट्रीयता.....
8. स्थायी पता.....
9. पत्रव्यवहार का पता.....
10. फोन नं०.....मो०नं०.....
11. शैक्षिक योग्यता का विवरण:-



क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	कोर्स का नाम	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	जू० हा० स्कूल			---					
2	हाईस्कूल			---					
3	इण्टर			---					
4	स्नातक			---					
5	बी०एड०			---					
6	टी०ई०टी (उच्च प्राथमिक स्तर)			---					
7	कम्प्यूटर								

अनुभव यदि हो.....
.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

धोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दर्शाये गए समस्त विवरण सत्य एवं सही है, यदि भविष्य मे जाँचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य, त्रुटिपूर्ण एवं गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जाता है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक/विभागीय कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी और इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी। जो मुझे स्वीकार होगा/होगी।

दिनांक:-

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर